

**प्रारूप-छ (संलग्नक-6)****अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)**

यूआईडी संख्या : UPFS/2026/199319/JHS/JHANSI/1430/CFO

दिनांक : 18-05-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **ST. COLUMBUS INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL** पता **BANGLOW NO 89, JHANSI CANT, JHANSI** तहसील - **JHANSI** प्लॉट एरिया **8299 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **1593** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

| ब्लॉक/टावर | प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या | बेसमेन्ट की संख्या | ऊँचाई |
|------------|-----------------------------------|--------------------|-------|
| SCHOOL     | 2                                 | 0                  | 7 mt. |

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **ST. COLUMBUS INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **मुख्य अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **20-05-2026** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **ABDUL SHAHID** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **20-05-2026** से **19-05-2031** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **ST. COLUMBUS INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **ST. COLUMBUS INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

**Note :** This NOC has been issued for ground floor area 1235 SQM and first floor area 358 SQM ST. COLUMBUS INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL. It is the sole responsibility of the Owner/Occupier to ensure that all fire fighting systems remain in working condition at all times and are readily available in accordance with prescribed norms. It shall be mandatory to obtain prior permission from this office before undertaking any alteration to the building's structure or usage. If the building is found to be in violation of any fire safety or life safety standards, or if any changes are made to its structure or usage, this issued NOC shall be deemed automatically cancelled.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

**मुख्य अग्निशमन अधिकारी**

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

**Raj Kishor Rai**

AEA95FF1DB178704748CAC7A8CF6237CFA6C9054

20-05-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : 20-05-2026  
स्थान : JHANSI

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.